

न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुझुनु (राज०)

निर्णय मिसल संख्या/नयाबत /17/20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

नातूवाली वपटी

श्री घीसाराम पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी पपुस्ना तहसील खेतड़ी जिला झुझुनु।

निर्णय दिनांक- 01 अक्टूबर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है कि पटवारी हल्का राजोता के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम चिरानी स्थित राजकीय भूमि ख0न0 815/40 के रकबा 0.10 है0 में से रकबा 0.10 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड में जोत लगाकर श्री घीसाराम पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी नानूवाली बावडी के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब में गैर सायल ने जाहीर किया है कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि पर उनका कब्जा 60-70 वर्षों से चला आ रहा है। पुराना कब्जा होने की बाबत कोई सबूत होना नहीं बताया है। आज गैरसायल हाजिर भी नहीं है। कोई सबूत आदि भी प्राप्त नहीं हुये है। इस प्रकार गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 0.05 रूपया का 50 गुणा= 3/ रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

त. से. सं. 4 नं. 20-21  
पृष्ठ नं. 20 अर्थात् 31  
कानम की रकम

तहसील राजस्व सहायक  
24/12/20

(अ. तहसीलदार)  
नायब तहसीलदार खेतड़ी,  
खेतड़ी, जिला झुझुनु (राज०)



न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुझुनुं (राज0)

निर्णय मिसल संख्या/नयाबत /17/20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

नानूवाली धरणी

श्री घीसाराम पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी पपुस्ना तहसील खेतड़ी जिला झुझुनुं।

निर्णय दिनांक:- 07 अक्टूबर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है, कि पटवारी हल्का राजोता के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम चिरानी स्थित राजकीय भूमि ख0न0 815/40 के रकबा 0.10 है0 में से रकबा 0.10 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ में जोत लगाकर श्री घीसाराम पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी नानूवाली बावडी के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब में गैर सायल ने जाहीर किया है कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि पर उनका कब्जा 60-70 वर्षों से चला आ रहा है। पुराना कब्जा होने की बाबत कोई सबूत होना नहीं बताया है। आज गैरसायल हाजिर भी नहीं है। कोई सबूत आदि भी प्राप्त नहीं हुये है। इस प्रकार गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 0.05 रूपया का 50 गुणा= 3/ रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

र. ले. सं. 20-21  
पु. सं. 20  
कमल की र. 3/

तहसील राजस्व लेखाकार  
24/12/20

(अ. र. शर्मा)  
नायब तहसीलदार  
खेतड़ी, जिला झुझुनुं (राज.)